IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 10, 2021

सुव्यवस्थित मतदाता षिक्षा और निर्वाचन सहभागिता

Poonam Datta, Research Scholar, Faculty of Arts, Crafts & Social Sciences, Tantia University, Sri Ganganagar (Rajasthan)

Dr. Rajender Parsad Meena, Poonam Datta, Research Supervisor, Faculty of Arts, Crafts & Social Sciences, Tantia University, Sri Ganganagar (Rajasthan)

सारांश

किसी भी लोकतांत्रिक देष में चुनाव काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते है। चुनाव या फिर जिसे निर्वाचन प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और इसके बिना तो लोकतंत्र की परिकल्पना करना भी मुष्किल है क्योंकि चुनाव का यह विषेष अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देष के व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि वह नेता को चुन सके और आवष्यकता पड़ने पर सत्ता परिवर्तन ीाी कर सके। एक देष के विकास के लिए चुनाव बहुत अहम प्रक्रिया है क्योंकि यह देष के राजनेताओं में इस बात का भय पैदा करता है कि यदि वह जनता का दमन या शोषण करेंगे तो चुनाव के समय जनता अपनी वोटों के ताकत द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। और क्योंकि भारत को विष्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में चुनावों को काफी अहम माना जाता है। आजादी के बाद से भारत में कई बार चुनाव हो चुके और उन्होंने देष के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। यह चुनाव प्रक्रिया ही है, जिसके कारण भारत में सुषासन, कानून व्यवस्था तथा पारदर्षिता जैसी चीजों को बढ़ावा मिला है।

देष के हर नागरिक को जो 28 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका/चुकी है मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि एक ऐसा अधिकार है, जिसके तहत हर

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

व्यक्ति अपने विचारों पर दूसरों से सहमति और असहमति दिखा सकते है। इसलिए हर नागरिक को अपने–अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देष के मतदाता ही देष के विकास की तस्वीर तय करते हैं। इसलिए, देष के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सरकार बनाने में अपना सहयोग दें। योग्यतापूर्वक और मात्रात्मक रूप से, मतदाता की भागीदारी एक भाग लेने वाले लोकतंत्र के लिए आधारभूत है। इसी प्रकार, मतदाता पंजीकरण और मतदाता षिक्षा चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय है। मतदाताओं को क्या पता होना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न घटकों के संबंध में उन्हें वास्तव में क्या पता है, भारत के बीच एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि अकेले मतदाता जागरूकता मतदाताओं को वास्तव में अपने वोट डालने में परिवर्तित नहीं करती है।

सुव्यवस्थित मतदाता षिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम जिसे स्वीप नाम से जाना जाता है, भारत में मतदाता षिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2001 में, भारत के निर्वाचकों और तैयार करने और उन्हें निर्वाचक प्रक्रिया में संबंधित सामान्य ज्ञान से परिचित करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

स्वीप का प्रमुख उद्देष्य, निर्वाचनों के दौरान सभी अर्हक नागरिकों को मतदान करने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में वास्तविक सहभागी लोकतंत्र स्थापित करना है। ये कार्यक्रम अनेक सामान्य और लक्षित कार्यकलापों पर आधारित है, जो राज्य के देष के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। यह चुनाव प्रक्रिया ही है, जिसके कारण भारत में सुषासन, कानून व्यवस्था तथा पारदर्षिता जैसी चीजों को बढ़ावा मिला है। क्योंकि भारतीय संविधान संसदीय ढांचे के लोकतंत्र की स्थापना करता है। सच्चा लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र ही हो सकता है जिसमें बिना हिंसात्मक क्राति के सरकार को बदला जा सकता है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विगत कुछ वर्षो से देष में लोकतंत्र की जड़े हिल रही है। हमारी वर्तमान चुनाव प्रणाली हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छानुसार वास्तविक लोकतंत्र अर्थात् बहुमत का शासन स्थापित करने में सफल सिद्ध नहीं हुई।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 10, 2021

चुनाव महज औपचारिक बनते जा रहे हैं। आज के समय में देष में आधे से ज्यादा आबादी प्रतिषत युवाओं की है। अधिकतर युवा वर्ग के व्यक्ति राजनीति में अधिक रूचि नहीं लेते है। इसके साथ ही अधिकतर लोगों में चुनाव को लेकर भी अधिक सक्रियता नहीं रहती। अधिकतर व्यक्ति मतदान के महत्व के विषय में उचित रूप से नहीं जानते, जिसके कारणआज मतदाताओं की संख्या निरंतर घटती नजर आती है लेकिन लोकतंत्र को मजबूत एवं शक्तिषाली बनाने के लिए चुनावों में मतदाताओं की वृद्धि आवष्यक है। मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।

भारत में अब तक 29 लोकसभा चुनाव तथा अन्य विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके है। ये सभी चुनाव सामान्यतः शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुये हैं, लेकिन चुनाव पद्धति और चुनावों में कुछ ऐसी बातें देखने में आई है जिन्होंने जनता की चुनावों में आस्था को कम किया है। यदि उन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता, तो वे कालांतर में चुनावों के प्रति आस्था को आघात पहुंचा सकते है। डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के अनुसार ''हमारे संविधान में आधुनिक उदारवादी दर्षन के सार तत्व सारभौम व्यस्क मताधिकार को अपनाया है, परन्तु इसके पूरे अर्थ का अभी उद्घाटन होता है अभी इसे न्याय, स्वतंत्रता तथा समता के उदान्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेष है। यदि हमें इस महत् तथा भव्य आदर्ष को यथार्थ के धरातल पर लाना है, तो हमारे लिए एक आवष्यक है कि हम अपने निर्वाचन–प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता रक्षा के लिए पृथक प्रयास करें।''

चुनावों से सम्बन्धित व्याधियों की विवेचना और चुनाव सुधार का विषय पिछले कुछ वर्षो से संसद और देष के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित करता रहा है। योग्यतापूर्वक और मात्रातमक रूप से, मतदाता की भागीदारी एक भाग लेने वाले लोकतंत्र के लिए आधारभूत है। इसी प्रकार, मतदाता पंजीकरण और मतदाता षिक्षा चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय है। मतदाताओं को क्या पता होना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न घटकों के संबंध में उन्हें वास्तव में क्या पता है, भारत के

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 10, 2021

बीच एक बड़ा अंतर है। सजग और जागरूक मतदाता की चुनावों को सार्थक बनाने की भूमिका निभा सकता है। मतदान एक मात्र ऐसा साधन है जिससे देष की जनता स्वयं अपने देष का विकास निर्धारित कर सकती है। मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक गूंढ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है। मतदान में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात जन संख्यात्मक लक्षणों और सामाजिक, आर्थिक पद के अनुसार बदलता रहता है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृति स्त्रियों में पुरूषों से अधिक, निरक्षरों से साक्षरीों से अधिक, कम आय समूह में ज्यादा आय समूह से अधिक तथा सामाजिक दृष्टि से उन्नत वर्गो की तुलना में अधिक होती है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृति उनमें भी अधिक होती है जिन्हें हम राजनीतिक सूचना प्राप्त है अथवा जिन पर संचार के साधनों और अन्य दबावों का प्रभाव कम है। अतः भारत का चुनाव आयोग जिसके द्वारा भारत में चुनाव सम्पन्न का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव संबंधी कार्य सम्पन्न करवाने के साथ–साथ मतदाताओं को षिक्षित करना भी है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि देष के मतदाता अपने अधिकारों के साथ–साि उन जिम्मेदारियों को भी जाने जो किसी भी लोकतंत्र के सार को परिभाषित करते है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने व्यवस्थित मतदाता षिक्षा और चुनाव भागीदारी शुरू की है, जिसे 'स्वीप' के रूप में जाना जाता है।

भारत के निर्वाचन आयोग के व्यवस्थित मतदाता षिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम मतदाताओं को सूचित, षिक्षित, प्रेरित और सुविधाजनक कार्यक्रम, भारत में मतदाता षिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचत आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरूआत चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। 'स्वीप' का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचन के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

स्वीप का प्रमुख उद्देष्य, निर्वाचन के दौरान सभी अर्हक नागरिकों को मतदान करने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके, भारत में वास्तविक सहभागी लोकतंत्र स्थापित करना है। ये कार्यक्रम अनेक सामान्य और लक्षित

कार्यकलापों पर आधारित है, जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेष के अनुसार तैयार किए जाते है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र में मतदान के महत्व तथा मतदाता की भूमिका के संबंध मतदाता जागरूकता पैदा की जाती है तथा मतदान के दिन अधिकतम मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह मतदाताओं और देष के विभिन्न जनसांख्यिकी की सामाजिक समानता का निर्माण करने का भी प्रयास करता है।

स्पीप की संरचना –

स्वीप की संरचना बहुआयामी है। स्वीप अपने उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करता है।

1. बूथ स्तर – भारत के चुनाव आयोग ने 2006 में बूथ स्तर के अधिकारियों की स्थापना की घोषणा की, जिन्हें बीएलओ के रूप में जाना जाता है। ये अधिकारी आम तौर पर एक या दो मतदान केन्द्र के प्रभारी होते है और इन केन्द्रों के समग्र मतदाता सूची का रख रखाव करते हैं।
2. जिला स्तर – इस स्तर पर, जिला प्रषासनिक प्रमुख द्वारा चुनाव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जाती है। इस स्तर पर स्वीप की समिति का गठन और अध्यक्षता जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जाती है।
3. राज्य स्तर –राज्य सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी को संबंधित राज्य में स्वीप कार्यक्रम का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। इस व्यक्ति को राज्य स्तर पर एक कोर समूह बनाने की शक्ति दी जाती है जिससे स्वैच्छिक आधार पर विष्व विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज समूहों आदि के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
4. राष्ट्रीय स्तर – का स्वीप विंग नीतियों को तैयार करने ढांचा तैयार करने, उद्देष्यों और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह नागरिक

समाज समूहों, मीडिया और मतदान वर्ग के साथ निरंतर बातचीत भी सुनिष्चित करता है।

संक्षेप में भारत के निर्वाचन आयोग के व्यवस्थित मतदाता षिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम मतदाताओं को सूचित षिक्षित, प्रेरित और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में, चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू को मतदानमें बढ़ी मतदाताओं की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए अनुकरण किया जाता है। यह इस कार्यक्रम का असर है कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान, मतदाता पंजीकरण लगातार बढ़ रहा है और युवा मतदाताओं और महिलाओं से अधिक भागीदारी के साथ उच्च मतदाता मतदान संभव हो गया है। स्वीप का प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और चुनाव के दौरान एवं सूचित निर्णय लेने के लिए भारत में वास्तव में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

संदर्भ –

1- hindi.eci.gov.in

2- https://hindi_eci.gov.in.sveep

3- https://ecisveep.nic.in

4- बी.एल. फड़िया : भारतीय शासन एवं राजनीति

5- पी.के. त्रिपाठी : भारतीय संविधान के मूल तत्व

6- J.C. Johari : Indian Govt. & Politics

7- जैन व फड़िया : भारतीय शासन और राजनीति